

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway manager's Office
वाणिज्य विभाग जबलपुर
Commercial Department Jabalpur

No.JBP/C/401/Cog/PRS/Tatkal/24

Date: 23.04.2024

समस्त मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक
समस्त मुख्य वाणिज्य निरीक्षक
पश्चिम मध्य रेल ,जबलपुर

विषय :- लम्बी दूरी के रिवर्स तत्काल टिकट के आरक्षण संबंधी जानकारी के संबंध में ।

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि प्रायः देखा जा रहा है कि आरक्षण कार्यालय में लम्बी दूरी के रिवर्स तत्काल टिकटों का आरक्षण यात्रियों के द्वारा कराया जाता है जिनका वास्तविक रूप में प्रस्थान स्टेशन तक पहुंचना संभव नहीं होता। अतः सर्व संबंधित आरक्षण पर्यवेक्षकों एवं खंड निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंधी आरक्षण की जानकारी वाणिज्य नियंत्रक को देवे ताकि संबंधित यात्रियों की टिकट जाँच की कार्यवाही हेतु संबंधित को सूचित किया जा सके।

आरक्षण कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दूरस्थ प्रारंभिक स्टेशनों कि तत्काल टिकट बुक करवाने हेतु आये व्यक्ति को यह जानकारी दी जाये कि यात्रा हेतु टिकट की वास्तविक टिकट ही मान्य होगी। फोटोकॉपी, मोबाइल फोटो आदि मान्य नहीं होगी एवं रेलवे द्वारा उक्त तत्काल टिकट पर की जाने वाली कार्यवाही में भी बुक करने आये व्यक्ति को भी अवगत कराये।

सादर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/04/2024

(अखिलेश कुमार नायक)
सहायक वाणिज्य प्रबंधक
जबलपुर

प्रतिलिपि-वाणिज्य नियंत्रक जबलपुर -उक्तानुसार कार्यवाही करेंगे